

प्रपत्र-9

मीडिया संस्थान/कर्मियों के सरकारी/निजी वाहन के लिए सचिवालय प्रवेश पत्र का प्रारूप।

1. वाहन जिस मीडिया प्रतिनिधि द्वारा प्रयोग किया जाना है, उस का नाम एवं पदनाम.....
.....
2. आवेदक का आवासीय पता/आवासीय दूरभाष/मोबाईल संख्या.....
.....
3. उपयोगकर्ता मीडिया अधिकारी का निजी सचिवालय प्रवेश-पत्र संख्या **(छायाप्रति संलग्न करें)**.....
.....
4. जिस वाहन का पास बनाया जाना प्रस्तावित है, क्या वह वाहन उसी मीडिया अधिकारी /
कर्मचारी के नाम पंजीकृत है, हाँ/नहीं.....
5. मोटर गाड़ी जिसके नाम से पंजीकृत है, उसका विवरण :-
(क) नाम.....
(ख) आवासीय पता.....
(ग) वाहन पंजीयन संख्या **(छायाप्रति संलग्न करें।)**.....
(घ) वाहन का मेक.....
6. क्या आवेदक मान्यता प्राप्त पत्रकार है/नहीं **(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)**.....
.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वाहन का प्रयोग सचिवालय आने में केवल उस अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके नाम सचिवालय प्रवेश-पत्र जारी है। अतः उक्त वाहन का सचिवालय प्रवेश-पत्र बनाये जाने की संस्तुति की जाती है।

सूचना विभाग के
अपर मुख्य सचिव
प्रमुख सचिव/सचिव के
हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :-

- 1 आवेदक को निजी वाहन की आर0सी0 संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2 संबद्ध वाहन के सम्बद्धीकरण आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3 पुराने सचिवालय प्रवेश-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4 पत्रकार/मीडिया प्रतिनिधि होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।